

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/पंचा.-26/पंग्राविवि/22/2019/502 अटल नगर, दिनांक 26/10/2019

प्रति,

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 हेतु ग्राम/जनपद पंचायतों के सरपंच/अध्यक्ष पद के आरक्षण निर्धारण एवं सांख्यिकी जानकारी प्रेषित किये जाने हेतु।

संदर्भ :- विभाग का पत्र क्रमांक/पंचा.-26/पंग्राविवि/22/2019/498, दिनांक 25.10.2019.

— 00 —

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के पृष्ठ क्रमांक-01 पर "जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण का कार्य सम्पन्न कराने हेतु दिनांक 16.10.2019 तक की तिथि पूर्व से निर्धारित है," का उल्लेख किया गया है।

कृपया टंकण त्रुटि के कारण उक्त स्थान पर, "जिला/जनपद पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के वार्डों का निर्धारण का अंतिम प्रकाशन तथा जिला/जनपद पंचायत क्षेत्र के निर्धारण का नजरी नक्शा सहित तैयार करना" दिनांक 26.10.2019 पढ़ा एवं लिखा जावे।

(जितेन्द्र कुमार शुक्ला)

उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पु. क्रमांक/पंचा.-26/पंग्राविवि/22/2019/503 अटल नगर, दिनांक 26/10/2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
3. उपसचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।

4. स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, डी.के.एस. भवन, पुराना मंत्रालय रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त उपसंचालक, पंचायत, जिला कार्यालय छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



उपसचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग